न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
202 / 2025

दायर दिनांक
23.04.2025

निर्णय दिनांक
21.08.2025

उनवान

श्रीमति सायर पत्नी श्री नारू जी जाट, निवासी हरणीकलां तहसील व, भीलवाड़ा (राज.)

— — **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री उगमलाल पुत्र श्री रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी जिल्या खेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री मदनलाल पुत्र श्री भवानीलाल ब्राह्मण निवासी जिल्या खेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा ।
3. श्रीमति कैलाश कंवर पत्नि रघुवीर सिंह राजपुत निवासी बतकों का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. श्री मिठुदास पुत्र श्री भुरदास बैरागी निवासी जित्या खेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. श्री मोहित पुत्र श्री जनार्दन ब्राहम्ण निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
6. श्री रामलाल पुत्र श्री सेवा जाति गाडरी उम्र वयस्क निवार्स जित्या खेड़ी तहसील व जिला भीलंवाड़ा राज,।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज. ।

— — **विपक्षीगण**

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री अमित कोठारी, श्री रामजस माली उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जित्याखेडी पटवार क्षेत्र दांथल भू.अभि.नि.क्षै. दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि आराजी संख्या 761/1 रकबा 2.4911 हेक्टेयर आराजी संख्या 774/1 रकबा 0.0379 हेक्टेयर आराजी संख्या 775/2 रकबा 0.7587 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम जित्याखेडी पटवार क्षैत्र दांथल भू.अभि.नि.क्षै. दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की भूमि आराजी संख्या 761/1 रकबा 2.4911 हेक्टेयर आराजी संख्या 774/1 रकबा 0.0379 हेक्टेयर आराजी संख्या 775/2 रकबा 0.7587 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा।